न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 95 /2022 तारीख रजू :- 27-5-2022

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/248

उनवान

महेश पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी जटवाडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—सायलान—01

बनाम

रामनिरी देवी पत्नि लखनसिंह जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान—02

दिनांक	फर्द अहकाम
	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। बेदखल नहीं करने, भूमि को कृषि से अकृषि नहीं करने हेतु गैरसयाल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 907 रकबा 0.47 है0, 908 रकबा 0.66 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील सूरौठ में आगामी तिथी तक रिकॉर्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 27.06.2022 को पेश हों। (अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली
27/6/22	पत्रावली पेश हुई। बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित रखा गया है अतः पत्रावली बाद हेतु पुकार 4.8.22 को पेश हो।
4/8/22	पत्रावली पेश हुई। सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील ने अवगत कराया कि सायलान प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते हैं। सायलान प्रकरण को खारिज करना चाहते हैं अतः मु0नं0 95/22 ए.ए. महेश बनाम रामनिरी वगैरह को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार रजिस्टर नम्बर से कमी हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)